रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, फरवरी 19—फरवरी 25, 2012, शनिवार/माघ 30–फाल्गुन 6, 1933
No. 4] NEW DELHI, FEBRUARY 19—FEBRUARY 25, 2012, SATURDAY/MAGHA 30—PHALGUNA 6, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2012

का.नि.आ. 07.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, टेलीफोन पर्यवेक्षक, टेलीफोन आपरेटर श्रेणी-I और टेलीफोन आपरेटर श्रेणी-II समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उसका संबंध टेलीफोन आपरेटर श्रेणी-I और टेलीफोन आपरेटर श्रेणी-II के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में टेलीफोन आपरेटर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, टेलीफोन आपरेटर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना .**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान .**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2012

का.नि.आ. 08.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' (गैर तकनीकी) भर्ती नियम, 2001 जहाँ तक उसका ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक के पद से है और रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' (भंडार पालन) पद भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उसका ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक के पद से है उन बातों के सिवाए, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय (ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान .**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगीं जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक	82* (2012) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत हुए व्यंक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
66.66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 33.34 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** 5200-20200 रु. वेतन बैंड-1 और 2400 रु. ग्रेड वेतन में ज्येष्ठ भंडारी, जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस ग्रेड में दस वर्ष की सेवा की है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पाात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापर्वूक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1 और 2800 रु. ग्रेड वेतन या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5200-20200 रु. वेतन बैंड-1 और 2400 रु. ग्रेड वेतन या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है, और (ख) जो विभिन्न रक्षा भंडारों के प्रबंधन में दो वर्ष का अनुभव रखते हैं । **टिप्पण 1 :-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक

	(11)
	संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** :-प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां पूर्व-पुनरीक्षित एक से अधिक वेतनमानों का एक सामान्य ग्रेड वेतन के साथ एक ग्रेड या वेतनमान में विलयन हुआ है और जहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) के लिए, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य तत्स्थानी ग्रेड है, विस्तारित होगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
(i) प्रोन्नति पर और (ii) पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी — 1. अपर महानिदेशक क्वालिटी आश्वासन (प्रशासन) —अध्यक्ष 2. प्रशासन निदेशालय से कोई संयुक्त निदेशक —सदस्य 3. किसी तकनीकी निदेशालय से कोई निदेशक या संयुक्त निदेशक —सदस्य 4. उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए/86320/आर.आर./एस.एस.एस./डी.जी.क्यू.ए./प्रशा-10/182/डी.(क्यू.ए.)/2012]

सुभाष चंद, अवर सचिव

New Delhi, the 9th February, 2012

S.R.O. 08.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in superssession of the Department of Defence Production and Supplies, Director General of Quality Assurance, Group 'B' (Non-Technical) Posts Recruitment Rules, 2001 in so far as they relate to the post of Senior Stores Superintendent, and the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance Group 'C' (Store Keeping) Posts Recruitment Rules, 2000 in so far as they relate to the post of Store Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Persident hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Stores Superintendent, in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance (Senior Stores Superindendent) Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Stores Superintendent	82* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300–34800 plus grade pay of Rs.4200	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputaton or absorption to be made.
(10)	(11)
66.66 per cent by promotion 33.34 per cent by deputation	**Promotion :** Senior Store Keeper in the Pay Band-1, Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400 with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

(11)

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommentations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation :

Officers of the Central Government—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with six years' service in grade rendered after appointment thereto on a regular basis in scale of pay in Pay Band-1 with Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre/ department; or

(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in scale of pay in Pay Band-1 , Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) Possessing two years' experience in management of various Defence Stores.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some-other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 3: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has

	(11)
	been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering (i) promotion and (ii) confirmation consisting of :- 1. Additional Director General Quality Assurance (Administration) —Chairman 2. Any Joint Director from Administration Directorate —Member 3. Any Director or Joint Director from any Technical Directorate —Member 4. Deputy Director (Administration) —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A/86320/RR/SSS/DGQA/Adm-10/182/D(QA)/2012]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2012

का.नि.आ. 09.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा कार्यालय, (ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी और कनिष्ठ स्वागत अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 को जहां तक इसका संबंध कनिष्ठ स्वागत अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन, कनिष्ठ स्वागत अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित निमय बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा कार्यालय, (कनिष्ठ स्वागत अधिकारी) भर्ती नियम, 2012 है ।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।